

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक: प.8(15)गृह-12/कारा/2023

जयपुर, दिनांक :

गृह (ग्रुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या... 1497
दिनांक 11/8/23

--: आदेश :-

कारागार अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 9, सन् 1894) की धारा 3 के खण्ड (1) सपठित राजस्थान कैदियों के लिये खुली हवा शिविर नियम, 1972 के नियम 2 के खण्ड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री गौशाला सेवा समिति, हनुमानगढ़ जक्शन, जिला हनुमानगढ़ को 10 बंदी क्षमता का अस्थाई "खुले हवा शिविर" एतद्वारा घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अवधेश मीना)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प.2(1)मु. /132/2023/10871 दिनांक 15.06.2023 के क्रम में।
2. संभागीय आयुक्त, बीकानेर।
3. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़।
5. अधीक्षक, जिला कारागृह, हनुमानगढ़।
6. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचित आदेश की दो प्रतियाँ इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
7. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप-6) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने बाबत।
8. अध्यक्ष, श्री गौशाला सेवा समिति, हनुमानगढ़ जक्शन, जिला हनुमानगढ़।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Avdesh Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.08.04 10:14:04 IST
Reason: Approved

Office Address - Room No. 1117, Home Department, Main Building, Secretariat,
Telephone No. 0141-2385665

E-Mail: homeaff@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No. : 4439192

